

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 62/2022

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स मयूर बर्तन स्टोर

मधुशाह गली, दरगाह क्षेत्र अजमेर

श्री राधाकिशन पुत्र श्री छगनलाल

निवासी जयपुर रोड अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री अब्दुल सादीक, प्रवर्तन अधिकारी - पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.7.2022 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग रोकने के अभियान के तहत नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी अजमेर शहर, श्री योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री अंकुश अग्रवाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री राहुल भावरिया, प्रवर्तन निरीक्षक मयूर बर्तन स्टोर अजमेर पहुँचे। उक्त फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की फर्म से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W. GAS	TYPE
1		एक छोटा अप्रमाणित सिलेण्डर				

को कब्जेराज लिया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय/नाश्ता बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरुपयोग करएल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर श्री मिट्टू पुत्र श्री कल्याण


(अंश वीजा)
जिला कलक्टर, अजमेर


मल कार्मिक मैसर्स खाजा गैस एजेंसी अजमेर को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जबानुदा धरेलू गैस सिलेण्डरों को राजस्वत करने हेतु वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कार्रवाई बाह्य नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामित जबानुदा गैर हाजिर। उपस्थित पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर मुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर धरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया गया। धरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरुपयोग एन पी जी आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये एक धरेलू गैस सिलेण्डरों को राजस्वत फरमाया जावे।

इसने बहस पर मनन किया तथा पञ्जवस्ती में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एन पी जी गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्रवाही दिनांक 25.01.2023 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये एक गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजस्वत किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डरों अप्रमाणित ताल है अतः जितना रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निरस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.04.2023 को सारे इजलास सुनाया गया।


(अस दीप)
जिला कलक्टर
अजमेर